न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 229/2016 **दायरा दिनांक : 24.05.2016**

उनवान

1— घनश्याम आयु 45 वर्ष पुत्र हीरा लाल, जाति गुंसाई, निवासी सिरसोदखुर्द, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— लक्ष्मण आयु 42 वर्ष पुत्र हीरा लाल, जाति गुंसाई, निवासी सिरसोदखुर्द, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— सुल्तान आयु 36 वर्ष पुत्र हीरा लाल, जाति गुंसाई, निवासी सिरसोदखुर्द, तहसील शाहबाद, जिला बारां

4— राजू आयु 32 वर्ष पुत्र हीरा लाल, जाति गुंसाई, निवासी सिरसोदखुर्द, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— खैरू पुत्र कल्लू, जाति चमार, निवासी सिरसोदखुर्द, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 56/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवरीवीरान तहसील शाहबाद में आराजी खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 26/1 रकबा 8 बीघा स्थित है । प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं जो झगडालू प्रवृत्ति के है और उन्होंने वादी की आराजी में गत वर्ष आषाढ़ महीने में अनाधिकृत कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 11.01.2016 से दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने जवाबदावा पेश किया था और अवगत करवाया था कि अपीलांटगण का कब्जा खसरा नम्बर 20 पर पूर्वजों के समय से चला आ रहा हे । खसरा नम्बर 20 रकबा 10 बीघा पून्या बाई को आवंटित हुआ था और खसरा नम्बर 20 रकबा 10 बीघा आराजी कलाबाई को सन् 1981 में आवंटित हुई थी । अपीलांट नम्बर 1 के द्वारा जिला कलेक्टर, बांरा के न्यायालय में इस आवंटन को निरस्त करने के लिए कार्यवाही पेश की गई जो स्वीकार कर कला बाई का आवंटन निरस्त किया गया । इसी प्रकार पूनिया बाई के आंवटन को जिला कलेक्टर

के न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें पूनिया बाई का आवंटन भी निरस्त किया गया । पून्या बाई के द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 29.02.2000 को निरस्त की गई और कला बाई की अपील भी दिनांक 29.02.2000 को निरस्त की गई और माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील पेश की गई जो दोनों दिनांक 22.04.2002 को निरस्त की गई । इस प्रकार खसरा नम्बर 20 रकबा 20 बीघा पर अपीलांट का कब्जा माना गया है । अपीलांटगण को परेशान करने की नियत से यह दावा पेश किया गया है । थाने में दर्ज प्रकरण में भी एफ आर लगा दी गई है । खसरा नम्बर 26/1 पर दूसरे व्यक्ति का कब्जा है उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है केवल अपीलांट को परेशान करने के लिए यह कार्यवाही की गई है और दावे की आड में अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है । खसरा नम्बर 26/1 और 20 के सन्दर्भ में किसी प्रकार का संशय है तो उसे टीम गठित कर मौके पर पैमाईश करवायी जाये, परन्तु वादी के दावे की आड में अपीलांट को 20 बीघा आराजी से बेदखल नहीं किया जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.05.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नक्शे में तरमीम नहीं हुई है । अपीलांट का खसरा नम्बर 20 पर कब्जा है और वादग्रस्त आराजी की आड में अपीलांट को रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 20 से बेदखल करने पर आमादा है । टीम गठित कर पैमाईश करवायी जाये । अपीलांट रेस्पोडेंट की आराजी पर काबिज नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 1 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 26/1 रकबा 8 बीघा आराजी वादी के खाते में दर्ज हे । नक्शाट्रेस की प्रति प्रदर्श 2 और प्रदर्श 3 है और खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 है । जवाबदावा जो अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है उसमें बिन्दु संख्या 6 के नीचे यह अंकित किया गया है कि वादी का दावा अवधि मध्य नहीं है और न ही वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है इस कारण दावा अनतर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है । प्रतिवादीगण द्वारा कुछ दस्तावेजात भी पेश किये गये हें जिसमें खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रति एक्जीविट ए 1 ए, एफ आई आर की फोटो प्रति एक्जीविट ए 2 ए सलंग्न है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह दस्तावेजत प्रमाणित प्रतियां नहीं है जबकि प्रमाणित प्रतियों को

एक्जीविट करवाया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 2 तनकी कायम की है जबकि वादी का दावा बेदखली का है और प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में यह अंकित किया है कि दावा बेरून मियाद है । बेदखली के दावे में मियाद का बिन्दु महत्वपूर्ण होता है और मियाद के बिन्दु पर तनकी कायम किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर तनकी कायम नहीं की है । अतः निम्नानुसार अतिरिक्त तनकी कायम की जाती है :–

" आया दावा वादी अवधि बाधित है । " ..... प्रतिवादी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि कायम की गई अतिरिक्त तनकी पर यदि आवश्यक समझा जाये तो उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित किया जाये । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा